



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,

इन्दौर - 452001

दिनांक:-

11 FEB 2026

क्रमांक: गोपनीय/ल.शो./2026/377

प्रति,

प्राचार्य,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/निदेशक,

समस्त संबद्ध महाविद्यालय,

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,

इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बड़वानी/बुरहानपुर/अलीराजपुर

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति सत्र 2025-26 स्नातक स्तर चतुर्थ वर्ष के बैचलर डिग्री (आनर्स) के मेजर विषय पर आधारित लघुशोध प्रबंध (4 क्रेडिट) के लिए दिशा निर्देश।


महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि स्नातक स्तर के चतुर्थ वर्ष के बैचलर डिग्री (आनर्स) के मेजर विषय पर आधारित लघुशोध प्रबंध (4 क्रेडिट) के लिये बाह्य परीक्षक कि नियुक्ति, मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा (वाइवा) का कार्य महाविद्यालय स्तर पर किया जाना है। एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 15/04/2026 विश्वविद्यालय को लघुशोध प्रबंध एवं मौखिक परीक्षा (वाइवा) के अंक भेजे। उक्त दिनांक तक लिंक खुली रहेगी!

अध्यादेश 14 B में दिये तालिका (16.14) के क्रमांक 13 के अनुसार लघुशोध प्रबंध एवं मौखिक परीक्षा (वाइवा) के क्रेडिट का निर्धारण किया जाये। Dissertation/Research Project(4/6) Evaluation of Thesis 2/4 Credits(50Marks)+ PreSubmission Viva-Voce 1/1 credit(25Marks)+ External Viva-voce 1/1 Credit (25Marks)

नोट:- शोध प्रबंध (Dissertation) का मूल्यांकन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाना है, यह सुनिश्चित हो।

1. जिल्द बाइंडिंग किये हुए लघुशोध प्रबंध ही स्वीकार किये जाये। लघुशोध प्रबंध निर्धारित प्रारूप में ही तैयार किये जाना है। (प्रारूप:- 1. महाविद्यालय का नाम, 2. विद्यार्थी का नाम, 3. कक्षा/विषय, 4. निर्देशक का नाम, 5. लघुशोध प्रबंध का नाम)
2. लघुशोध प्रबंध की एक प्रति महाविद्यालय द्वारा अपने पास संरक्षित रखी जावे, विश्वविद्यालय द्वारा लघुशोध प्रबंध की प्रति मांगे जाने पर महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जावे।
3. महाविद्यालय बाह्य परीक्षक नियमित/सेवानिवृत्त/कॉलेज कोड (28) जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, विश्वविद्यालय के परिनियम 29 के प्रावधान अनुसार आमंत्रित कर परीक्षा कार्य संपन्न कराया जाना है।
4. प्राचार्य/प्राचार्या स्वयं के महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
5. उक्त मूल्यांकित शोध प्रबंध के अंक विश्वविद्यालय को समय-सीमा में एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से भेजे जावे एवं एक प्रति हार्ड कॉपी कम्प्यूटर सेंटर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, खण्डवा रोड इन्दौर में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. जमा किए जाने वाले अंको के पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counterfoil) में यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो कि पर्ण/प्रतिपर्ण पर बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक के नाम, पद, पदस्थ संस्था का नाम, एवं हस्ताक्षर का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
7. यदि किसी विद्यार्थी के लघुशोध प्रबंध में नकल पायी जाती है शोध प्रबंध सहित विश्वविद्यालय को सुचित करें।


परीक्षा नियंत्रक

दिनांक :- 11 FEB 2026

1377